राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ.8/कम्प्यूटर/ई–पंजीयन/2019/ 575-1130 दिनांक : 19/03/2019

1. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
   राजस्थान।
2. समस्त उप पंजीयक,
   (पूर्ण कालीन एवं पदेन)
   राजस्थान

विषय – **दस्तावेज को पंजीयन के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट में दस्तावेज से संबंधित संपत्ति एवं पक्षकारों से संबंधित व स्टाम्प ड्यूटी संबंधी अपेक्षित समस्त सूचनाऐं ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन फीड करने हेतु।**

प्रसंग – संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 2(35)वित्त/कर/2017 दिनांक 14.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(35)वित्त/कर/2017 दिनांक 14.03.2019 के द्वारा Ease of Doing Business(EODB) के बिन्दु संख्या 12 के उप बिन्दु i की पालना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत दस्तावेजों के ऑनलाईन पंजीयन के क्रम में दस्तावेजों को पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट में उस दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति एवं पक्षकारों से संबंधित सभी सूचनाएं तथा स्टाम्प ड्यूटी, अधिभार, पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्कों के विभाग की आय मद में भुगतान के Verification की सूचना पक्षकारों के लिए ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन फीड किया जाना अनिवार्य किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश के क्रम में निर्देशानुसार, निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 01.04.2019** से, विभाग द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट में दस्तावेज से संबंधित संपत्ति एवं पक्षकारों से संबंधित समस्त सूचनाएं तथा स्टाम्प ड्यूटी, अधिभार, पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्कों के विभाग की आय मद में भुगतान का Verification सुनिश्चित करने के पश्चात, संबंधित पक्षकार द्वारा ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन फीड किये जाने के बाद ही समस्त उप पंजीयकों द्वारा दस्तावेज को पंजीयन के लिये स्वीकार किया जाये।

समस्त उप महानिरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित आदेश की पूर्ण शक्ति से पालना सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

19/3/19

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ.8/कम्प्यूटर/ई–पंजीयन/2019/ 1131-1136 दिनांक : 19/03/2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) वित्त भवन जयपुर।
3. वित्तिय सलाहाकार मुख्यालय अजमेर।
4. श्री प्रमोद सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रासंगिक आदेश के परिपेक्ष्य में ऑनलाईन ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में उपरोक्त डाटा एंट्री आवेदक स्तर पर अनिवार्य करवाने तथा उप पंजीयक कार्यालय लॉग–ईन पर केवल जांच एवं आवश्यक अपडेट की सुविधा प्रदान करने का श्रम करावें। भुगतान के प्रकार में आवेदक स्तर पर ई–ग्रास भुगतान के वेरिफीकेशन होने के पश्चात ही उप पंजीयक कार्यालय को सबमिट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। उप पंजीयक कार्यालय में भुगतान के प्रकार की जांच होने के पश्चात ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर द्वारा ई–ग्रास चालान automatic deface होगा। ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में उपरोक्त संशोधन शीघ्र करवाते हुए अवगत करावे।
5. निजी सचिव, महानिरीक्षक महोदया।
6. समस्त शाखा प्रभारी, अधिकारी मुख्यालय अजमेर।

19/3/19

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

संख्या प.2(35)वित्त / कर / 2017 जयपुर दिनांकः 14-03-2019

—: आदेश :—

Ease of Doing Business (EODB) के बिन्दु संख्या 12 के उप बिन्दु i की पालना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत दस्तावेजों के ऑनलाईन पंजीयन के क्रम में दस्तावेज को पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में उस दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति एवं पक्षकारों से संबंधित सभी सूचनाएं तथा स्टाम्प ड्यूटी, अधिभार, पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्कों के विभाग की आय मद में भुगतान के verification की सूचना पक्षकारों के लिए ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन फीड किया जाना अनिवार्य किया जाता है।

14/3/2019
(ऑकार मल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

14/3/2019
संयुक्त शासन सचिव

E:\Ramzan Ji\Order_Ltr_Hindi.docx27